



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 275 राँची, सोमवार,	11 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
	1 जून, 2026 (ई०)

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

अधिसूचना
01 जून, 2026

संख्या-01/निर्वा०(रा०स०)-18-01/2026/05--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के आलोक में राष्ट्रपतीय अधिसूचना सं. संख्या एच.11024/4/2026-वि.02, दिनांक-01/06/2026; भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-318/रा.स.-मल्टी/2/2026 (1) दिनांक-01/06/2026 एवं अधिसूचना संख्या-318/रा.स.-मल्टी/2/2026 (2) दिनांक-01/06/2026 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है ।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

01 जून, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)

का.आ. (अ).-- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले सीटों की संख्या	पदावधि के अवसान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	4	21.06.2026
2.	गुजरात	4	
3.	झारखण्ड	2	
4.	मध्य प्रदेश	3	
5.	मणिपुर	1	
6.	मेघालय	1	
7.	राजस्थान	3	
8.	अरुणाचल प्रदेश	1	23.06.2026
9.	कर्नाटक	4	25.06.2026
10.	मिजोरम	1	19.07.2026

[फा.सं.एच-11024/4/2026-वि.02]

(अकाली वी.कोंघे),
संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

01 जून, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2026 (1)--यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 01 जून, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थान
	(1)	(2)
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	गुजरात	4
3.	झारखण्ड	2
4.	मध्य प्रदेश	3
5.	मणिपुर	1
6.	मेघालय	1
7.	राजस्थान	3
8.	अरुणाचल प्रदेश	1
9.	कर्नाटक	4
10.	मिज़ोरम	1

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 08 जून, 2026 (सोमवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख - 09 जून, 2026 (मंगलवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 11 जून, 2026 (गुरुवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 18 जून, 2026 (गुरुवार), और
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 20 जून, 2026 (शनिवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

(सुमन कुमार दास),
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

01 जून, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2026 (2)--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 01 जून, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी(यों) को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	श्रीमती आर. वनिता रानी, उप सचिव, आंध्र प्रदेश विधानमंडल सचिवालय	1. डॉ. एम. अखिल कुमार, अनुसंधान अधिकारी, आंध्र प्रदेश विधानमंडल सचिवालय 2. श्रीमती पी. विजया कुमारी, अनुसंधान अधिकारी, आंध्र प्रदेश विधानमंडल सचिवालय
गुजरात	श्री चेतन पंड्या, सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय	श्री एम. एच. करंगिया, उप सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय
झारखण्ड	श्री रंजीत कुमार, प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा	श्रीमती किरण सुमन बाखला, उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा
मध्य प्रदेश	श्री अरविंद शर्मा, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय	श्री उमेश कुमार शर्मा, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय
मणिपुर	श्री रोहित सापम, सचिव, मणिपुर विधानसभा	श्री एल. धनश्याम सिंह, उप सचिव, मणिपुर विधानसभा
मेघालय	श्री माल्थस एस. संगमा, एम.सी.एस., सचिव, मेघालय विधानसभा	श्री राजा खारपुरी, उप सचिव, मेघालय विधानसभा
राजस्थान	श्री भारत भूषण शर्मा, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा	श्री विनोद कुमार मिश्रा, प्रमुख अनुसंधान एवं सन्दर्भ अधिकारी, राजस्थान विधानसभा
अरुणाचल प्रदेश	श्रीमती तादार मीना, सचिव, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	श्री लोंगमान रोन्नरंग, उप सचिव, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा
कर्नाटक	श्रीमती एम. के. विशालाक्षी, सचिव, कर्नाटक विधानसभा	श्री बी.एस. महालिंगेश, निदेशक, कर्नाटक विधान सभा
मिज़ोरम	श्री जोथनसांगा राल्ते, आयुक्त एवं सचिव, मिज़ोरम विधानसभा	श्री लालथांगमाविया, अपर सचिव, मिज़ोरम विधानसभा

आदेश से,

(सुमन कुमार दास),
सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० रवि कुमार),
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

CABINET (ELECTION) DEPARTMENT

NOTIFICATION1st June, 2026

No.- 01/निर्वा०(रा०स०)-18-01/2026/05--The following Presidential Notification under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), issue in F.No.H-11024/4/2026-Leg.II, Dated- 01.06.2026; Notification no. 318/CS-Multi/2/2026(1) dated 01.06.2026 and No. 318/CS-Multi/2/2026(2) Dated 01.06.2026 of the Election Commission of India are published hereunder for general information.

**Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)**

NOTIFICATION01st June, 2026/Jyaistha 11, 1948 (Saka)

S.O..... (E).- In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of members specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seats of members of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office:-

Table

Serial number	Name of State	No of seats to be filled	Date of expiry of term of office
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andhra Pradesh	4	21.06.2026
2	Gujarat	4	
3	Jharkhand	2	
4	Madhya Pradesh	3	
5	Manipur	1	
6	Meghalaya	1	
7	Rajasthan	3	
8	Arunachal Pradesh	1	23.06.2026
9	Karnataka	4	25.06.2026
10	Mizoram	1	19.07.2026

[F.No.H-11024/4/2026-Leg.II]

(Akali V. Konghay),
Joint Secretary & Legislative Counsel

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION01st June, 2026/Jyaistha 11, 1948 (Saka)

No. 318/CS-Multi/2/2026(1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 01st June, 2026, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

S.No.	Name of State	No. of members
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	4
2.	Gujarat	4
3.	Jharkhand	2
4.	Madhya Pradesh	3
5.	Manipur	1
6.	Meghalaya	1
7.	Rajasthan	3
8.	Arunachal Pradesh	1
9.	Karnataka	4
10.	Mizoram	1

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 08th June, 2026 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 09th June, 2026 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 11th June, 2026 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 18th June, 2026 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 20th June, 2026 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above-mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

(SUMAN KUMAR DAS)

SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION01st June, 2026/Jyaistha 11, 1948 (Saka)

No. 318/CS-Multi/2/2026(2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 01st June, 2026: -

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	Smt. R. Vanitha Rani, Deputy Secretary, Andhra Pradesh Legislature Secretariat	1. Dr. M. Akhil Kumar, Research Officer, Andhra Pradesh Legislature Secretariat 2. Smt. P. Vijaya Kumari, Research Officer, Andhra Pradesh Legislature Secretariat
Gujarat	Mr. Chetan Pandya, Secretary, Gujarat Legislature Secretariat	Mr. M.H. Karangiya, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat
Jharkhand	Shri Ranjeet Kumar, Secretary-in-Charge, Jharkhand Legislative Assembly	Smt. Kiran Suman Baxla, Deputy Secretary, Jharkhand Legislative Assembly
Madhya Pradesh	Shri Arvind Sharma, Principal Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat	Shri Umesh Kumar Sharma, Additional Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat

Manipur	Shri Rohit Sapam, Secretary, Manipur Legislative Assembly	Shri L. Dhanashyam Singh, Deputy Secretary, Manipur Legislative Assembly
Meghalaya	Shri Malthus S. Sangma, MCS, Secretary, Meghalaya Legislative Assembly	Shri Raja Kharpuri, Deputy Secretary, Meghalaya Legislative Assembly
Rajasthan	Shri Bharat Bhushan Sharma, Principal Secretary, Rajasthan Legislative Assembly	Shri Vinod Kumar Mishra, Principal Research & Reference Officer, Rajasthan Legislative Assembly
Arunachal Pradesh	Smti. Tadar Meena, Secretary, Arunachal Pradesh Legislative Assembly	Sh. Longman Ronrang, Deputy Secretary, Arunachal Pradesh Legislative Assembly
Karnataka	Smt. M. K. Vishalakshi, Secretary, Karnataka Legislative Assembly	Shri. B. S. Mahalingesh, Director, Karnataka Legislative Assembly
Mizoram	Shri Zothansanga Ralte, Commissioner & Secretary, Mizoram Legislative Assembly	Shri Lalthangmawia, Additional Secretary, Mizoram Legislative Assembly

By order,

(SUMAN KUMAR DAS),
SECRETARY
